

## छुट्टी की अर्जी का फार्म

( अनुपूरक नियम 216 देखिये )

टिप्पणी - मध्य संख्या 1 से 11 प्रत्येक को भरनी चाहिए चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित

1. प्रार्थी का नाम	.....
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली	.....
3. पद	.....
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग	.....
5. वैतन	.....
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किशाया भता, सवारी	.....
7. भता या अन्य प्रतिकर भत्ते	.....
8. रविवार और छुट्टी की किरम, आवधि और उसके शुरू होने की तरीख	.....
9. छुट्टी का कारण	.....
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किरम तथा आवधि	.....
11. मेरा विचार अगमी छुट्टी में ..... के बाण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा का रियायत लैने का है / जहाँ है ।	.....

(क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वैतन छुट्टी परिवर्तित छुट्टी की आवधि में लिपु गये छुट्टी वैतन और आय औसत वैतन भत्ते वैतन की छुट्टी मिलने वाले वैतन के अन्तर की उस एकम को वापिस कर देंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके द्वारा उसके सेवा निवृत होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii) संशोधित छुट्टी नियमावली, 1938 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होती ।

(ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत होने या सेवा त्याग पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधी वैतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सकूँ जितनी अधिक छुट्टी मैंने ली है तो अधिक छुट्टी के द्वारा जो मूल नियम 81 (ग) संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम (ग) के लागू न किये जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वैतन को वापिस कर देंगा ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर ।